छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकरनगर, रायपुर

<u>शिकायत क्रमांक 321/2007</u>

श्री संजय शुक्ला,
सुभाष नगर,
गोड़पारा, बिलासपुर (छ.ग.)

. . . . . आवेदक

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय–कलेक्टर,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) . . . . . अनावेदक

शाखा प्रबंधक,
बिलासा महिला नागरिक बैंक,
सदर बाजार, ... अनावेदक
बिलासपुर (छ.ग.)

:: <u>आदेश</u> ::

(दिनांक 08 अगस्त 2007)

श्री संजय शुक्ला आवेदक के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग को शिकायत प्रस्तुत की कि उसके द्वारा प्रबंधक, बिलासा महिला नागरिक बैंक से कलेक्टरेट के जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जानकारी मांगी थी कि श्रीमती संजुला दीक्षित के खाता कं. 81 से जारी चेक की राशि श्रीमती ऋचा बाजपेयी एवं श्रीमती संध्या बाजपेयी के खाते में जमा हुई है। इस खाते की नकल एवं जमा करने का व्हाउचर की प्रतिलिपि दी जावे। प्रबंधक, महिला नागरिक सहकारी बैंक के द्वारा बतलाया गया कि जमाकर्ताओं एवं राशि निकालने के खाते के बारे में गोपनीयता बरती जाती है। अतः उक्त जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। इसके विरूद्ध शिकायतकर्ता ने आयोग को जानकारी प्राप्त न होने की शिकायत की।

2/ आयोग के द्वारा दोनों पक्षों को नोटिस दिया गया तथा सुनवाई की गई। प्रबंधक, बिलासा महिला नागरिक सहकारी बैंक के अभिभाषक के द्वारा बतलाया गया कि सी.सी. लिमिट का खाता एवं चेक श्रीमती संजुला दीक्षित के हैं परन्तु आवेदक श्री संजय शुक्ला हैं अतः किसी व्यक्ति के खाते के संबंध में अन्य व्यक्ति को बैंक के नियमों के अनुसार जानकारी नहीं दी जा सकती। उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–8 (जे) के अंतर्गत जानकारी व्यक्तिगत होने तथा जिसका प्रकटन किसी सार्वजनिक कियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है, उसे दिये जाने से विमुक्त किया गया है,

का उल्लेख किया। आवेदक का मुख्य तर्क केवल यही है कि उसे निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई।

3/ प्रकरण से स्पष्ट है कि बैंक के नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति के खाते की जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–8 (जे) के अंतर्गत भी ऐसी कोई जानकारी जो कि सार्वजनिक हित से संबंध नहीं रखती हो एवं व्यक्तिगत हो, उसे भी दिए जाने से इंकार किया जा सकता है। चूंकि बैंक रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार कार्य करता है एवं आवेदक संबंधित बैंक के खाता क्रं. का खातेदार भी नहीं है। आवेदक ने ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त जानकारी उसे जनहित में आवश्यक है। सूचना अधिकारी के द्वारा बैंक नियमों के अनुसार सूचना न देकर कोई त्रुटि नही की है अतः सूचना अधिकारी पर किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

4/ अतः आवेदक की यह शिकायत नस्तीबद्ध की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त